विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में 18 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री बी० पी० सिन्हा मैसर्स टनरे मोरिसन के वैतनिक अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं हैं अपितु इसके केवल एक निदेशक हैं और वह निदेशक बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशक की फीस और यात्रा भत्ते के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते हैं जो कि अन्य निदेशक लेते है और उनके पास अन्य निदेशकों से अधिक अधिकार अथवा जिम्मेदारी भी नहीं हैं ;

(ख) उस मामले का ब्यौरा क्या है जो जांच के लिए भेजा गया है ; वह तथ्य क्या हैं जिस की जांच की जानी है तथा वह मामले क्या हैं जिनके बारे में समवाय विधि विभाग को अपनी राय देनी है ; और

(ग) श्री बी० पी० सिन्हा के आचरण के बारे में न्यायाधिपति पी० वी० मुकर्जी ने क्या टिप्पणियां की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग, समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैसर्ज टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लि० के कार्यों की जांच कर रहा है ।

(ग) टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी बनाम हंगरफोर्ड इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लि० (स्वेच्छा से कारोबार बन्द करने) के 1965 के मुकदमें संख्या 2005 में 11 से 13 नवम्बर, 1968 तक श्री न्यायाधीश पी० बी० मुखर्जी द्वारा दिये गये निर्णय की ओर कृपया ध्यान दें । (दिलाया जाता है ।)

Maratha fort at Aligarh

9997. SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN :
SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI J. MOHAMED IMAM :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact the Maratha fort at Aligarh which is a centrally protected historical monument, is going to be sold by the Ministry of Defence;

(b) if so, what steps are proposed to be taken to ensure the safety and security of this monument;

(c) whether the Defence Ministry proposes to sell other forts which are protected archaeological monuments and which are under its control; and

(d) if so, what measures are proposed to be taken by Government that our archaeological monuments are not sold away ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) and (b). The Fort at Aligarh known as the Ramgarh Fort has not been a Centrally protected monument since 1962. The Ministry of Defence has under consideration a proposal to dispose of the entire fort area (92 acres) as it is surplus to their requirements.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Allegations against Officers of Chief Commissioner's Office, Delhi for making profits on the sale of Plots of land allotted by Government

9998. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5518 on the 23rd August, 1968 regarding sale of plots by officers in Delhi and state :

(a) the action taken against each officer